

स्लोवेनिया फ़िलिस्तीन राज्य को मान्यता देने वाला नवीनतम यूरोपीय देश बन गया है

Slovenia become latest European country to recognize a Palestine state

हालिया संदर्भ-

- हाल ही में स्लोवेनिया 'फिलिस्तीन' राज्य को मान्यता देने वाला सबसे नवीनतम यूरोपीय देश बन गया है।
- 4 जून को स्लोवेनिया की संसद (नेशनल असेम्बली) में फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने वाला प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया।
- स्लोवेनिया की 90 सीटों वाली संसद में इस प्रस्ताव के पक्ष में 52 वोट पड़े जबकि इसके खिलाफ कोई वोट नहीं पड़ा।
- स्लोवेनिया द्वारा फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने का यह निर्णय हाल ही में अन्य यूरोपीय देश स्पेन, नार्वे और आयरलैंड द्वारा फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने के कुछ दिनों बाद आया है।
- ज्ञातव्य हो कि अब तक 140 से अधिक देशों में फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दी है जो संयुक्त राष्ट्र के कुल सदस्य देशों के दो-तिहाई से अधिक हैं।
- 'अल्जीरिया' स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने वाला सबसे पहला देश है।



किसी देश को मान्यता देने का आधार-

- 26 दिसंबर 1933 को उरुग्वे की राजधानी मॉन्टेविडियो में हुए एक सम्मलेन में किसी भी क्षेत्र को 'राज्य' की मान्यता प्रदान करने के लिए कुछ नियम बनाए गए।
- इसके लिए जो चार सबसे जरूरी आधार हैं वो निम्न हैं-
- स्थाई जनसंख्या
- स्थाई सरकार

- तय क्षेत्रफल
- दूसरे राष्ट्रों के साथ संबंध
- उपरोक्त आधारों के अलावा किसी देश को मान्यता मिलने के लिए यूएन (United Nations) की मान्यता लेना भी जरूरी है।

UN द्वारा फिलिस्तीन राज्य को आंशिक मान्यता-

- चूंकि संयुक्त राष्ट्र के कई देशों द्वारा अभी तक फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता नहीं दी है, इसलिए यूएन (UN) द्वारा फिलिस्तीनी राज्य को आंशिक मान्यता प्रदान की गई।
- वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा फिलिस्तीनी राज्य का दर्जा एक गैर - सदस्य पर्यवेक्षक राज्य के रूप में कर दिया गया है।

फिलिस्तीन राज्य को मान्यता नहीं देने वाले देश-

- अधिकांश पश्चिमी यूरोपीय देश सहित संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया, जापान तथा दक्षिण कोरिया ने अभी तक फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता नहीं दी है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लगातार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा में फिलिस्तीन को पूर्ण संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश बनने के प्रयास को 'वीटो' के अधिकार के द्वारा रोकता गया है।

फिलिस्तीनी राज्य हो मान्यता देने वाले देश-

- फिलिस्तीन मुक्ति संगठन (PLO) द्वारा 15 नवंबर 1988 को आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीनी राज्य की घोषणा की गई थी।
- तब से लेकर अब तक संयुक्त राष्ट्र के 140 से अधिक देशों ने फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता प्रदान की है।
- फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता प्रदान करने वाले जी-20 (G-20) के नौ सदस्य अर्जेंटीना, ब्राजील, चीन, भारत, इंडोनेशिया, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की शामिल हैं।
- इसके अलावे मध्य-पूर्व के कई देश एवं एशियाई एवं अफ्रीकी देशों ने फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता प्रदान की है।
- वर्ष 2011 को फिलिस्तीन राज्य को 'यूनेस्को' में शामिल किया गया।

फिलिस्तीनी राज्य का इतिहास-

- फिलिस्तीनी क्षेत्र का मानव इतिहास काफी पुराना माना जाता है।
- फिलिस्तीनी क्षेत्र में सबसे पहले मानव अवशेष जॉर्डन रिफ्ट घाटी में गैलिली सागर में 'उबेदिया' नामक स्थान पर पाए गए थे।
- 1550 - 1400 ईसा पूर्व के दौरान इस क्षेत्र में इजिप्त का प्रभुत्व था।
- इस क्षेत्र पर से 'इजिप्त' का प्रभुत्व हटने पर यह क्षेत्र कनान इस्त्रालियों और पलिशितयों का निवास स्थल बन गया।
- 734-645 ईसा पूर्व में असीरिया के राजा तिग्लथ पिलेसर तृतीय द्वारा आक्रमण पर कब्जा कर लिया गया जिसने पलिशितयों एवं इस्त्रालियों की बड़ी आबादी को निर्वासित होने के लिए मजबूर कर दिया।
- इसके बाद कई वर्षों तक यह क्षेत्र मिस्र के बेबीलोनिया साम्राज्य, रोमन साम्राज्य, ओटोमन साम्राज्य का प्रभुत्व का केन्द्र बना रहा।

आधुनिक इतिहास

- प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर फिलिस्तीनी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया।

- ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा 1920 से 1948 के बीच इस क्षेत्र पर राष्ट्र संघ की ओर से शासित किया गया।
- वर्ष 1923 में यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच हुए एक समझौते द्वारा फिलिस्तीनी क्षेत्र में ब्रिटिश शासन का अधिकार दिया गया।
- इस समझौते के तहत जॉर्डन नदी के दोनों किनारे, गैलिली के सागर को फिलिस्तीन का हिस्सा बनाया गया।
- फिलिस्तीनियों की पहली चर्चा 26 जुलाई 1928 को ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा मुसलमानों और ईसाइयों के लिए बनाई गई कार्यकारी समिति के एक दस्तावेज में किया गया है।
- वर्ष 1921 में ग्रेट ब्रिटेन द्वारा फिलिस्तीनी को धार्मिक नेतृत्व प्रदान करने के लिए 'मुस्लिम उच्च परिषद' नामक संस्था बनाई गई।
- इसी क्रम में ब्रिटिश शासन ने फिलिस्तीनियों के इच्छा के विरुद्ध इस क्षेत्र में उदार आव्रजन नीतियों को कायम रखते हुए यहूदियों को सामूहिक प्रवास की अनुमति दी।
- वर्ष 1922 में की गई जनगणना के अनुसार इस फिलिस्तीनी क्षेत्र की कुल जनसंख्या लगभग 8 लाख थी जिनमें 89 प्रतिशत अरब मूल के फिलिस्तीनी और 11 प्रतिशत यहूदी थे।
- हालांकि 1947 के अंत तक इस क्षेत्र में यहूदियों की जनसंख्या बढ़कर 31 प्रतिशत के करीब हो गई।
- वर्ष 1936 में फिलिस्तीनी लोगों द्वारा ब्रिटिश शासन के द्वारा फिलिस्तीनी क्षेत्र में यहूदियों के प्रवास की अनुमति के विरोध में व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू किया, जो बाद में चलकर एक सशस्त्र विद्रोह के रूप में उभरा।
- इस सशस्त्र विरोध को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सैन्य बलों का प्रयोग किया गया जिसमें काफी वृहद स्तर पर फिलिस्तीनी आबादी को नुकसान पहुँचा।
- वर्ष 1937 में फिलिस्तीनी और यहूदी आबादी को फिलिस्तीनी क्षेत्र में स्थापित करने के लिए 'पील आयोग' का गठन किया गया।
- इस 'पील आयोग' द्वारा फिलिस्तीनी क्षेत्र को एक यहूदी और अरब राज्य में विभाजित करने की सिफारिश की गई।
- इस सिफारिश के तहत यहूदियों को तेल अवीव, तटीय मैदान, उत्तरी घटियाँ और गैलिली के क्षेत्र देने तथा अरबों को जॉर्डन नदी का पश्चिमी क्षेत्र, मध्य फिलिस्तीन और दक्षिण रेगिस्तान क्षेत्र देने का प्रस्ताव रखा गया।
- हालांकि पील आयोग की इस सिफारिश का फिलिस्तीनियों द्वारा विरोध किया गया।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद-

- द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात इस क्षेत्र में ब्रिटेन का नियंत्रण लगातार कमजोर होता चला गया।
- अंततः 15 मई 1948 को ग्रेट ब्रिटेन द्वारा इस क्षेत्र में अपने शासन की समाप्ति की घोषणा कर दी गई।
- वर्ष 1948 में संयुक्त राज्य महासभा द्वारा एक प्रस्ताव जारी किया गया जिसमें फिलिस्तीन को यहूदी राज्य के साथ एक स्वतंत्र अरब राज्य और यरुशलम शहर के लिए विशेष अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाने की बात कही गई।
- इस प्रस्ताव को फिलिस्तीनी अरब नेता ने अस्वीकार कर दिया जबकि यहूदी नेताओं ने इसे स्वीकार कर लिया।
- हालांकि इस प्रस्ताव के पारित होने के कुछ दिनों के बाद सशस्त्र गृह युद्ध गुरु हो गया जिसमें लगभग 7 लाख फिलिस्तीनी भाग गए या भगा दिए गए।
- इसके पश्चात 14 मई 1948 को यहूदी पीपुल्स काउंसिल ने एक यहूदी राज्य इजराइल की स्थापना की घोषणा की।
- यहूदी द्वारा अलग इजराइल देश बनाने के बाद अरब राज्यों द्वारा फिलिस्तीनियों के समर्थन में इजराइल पर हमला कर दिया गया जो अरब-इजराइल युद्ध के नाम से जाना जाता है।
- हालांकि यहूदियों के लिए अलग इजराइल राज्य की घोषणा वाले दिन ही 'अरब लीग' द्वारा पूरे फिलिस्तीनी क्षेत्र में एक 'एकल अरब नागरिक प्रशासन' स्थापित करने की घोषणा कर दी गई।

फिलिस्तीन मुक्ति संगठन (PLO)-

- वर्ष 1964 में काहिरा में आयोजित एक 'अरब शिखर सम्मेलन' में 'फिलिस्तीन मुक्ति संगठन' का गठन किया गया।

- इस संगठन के स्थापना का मुख्य उद्देश्य 'फिलिस्तीनी क्षेत्र' में एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य का निर्माण करना।
- वर्ष 1969 में 'यासिर अराफात' द्वारा फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन (PLO) के अध्यक्ष बनने के बाद फिलिस्तीनी राष्ट्रीय आंदोलन को नई गति मिली।
- 1970-80 के दशक में यासिर अराफात हैं नेतृत्व वाली पी एल ओ ने इजरायल पर लगातार सैन्य हमले किए।
- अंततः 15 नवंबर 1988 को यासिर अराफात ने सीमाओं को परिभाषित किए बिना एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य के गठन की घोषणा की।

फिलिस्तीन - इजरायल विवाद क्षेत्र

- यहूदियों द्वारा 1948 में घोषित इजरायल राज्य के बाद इजरायल और फिलिस्तीन के बीच लगातार संघर्ष होते रहे हैं।
- इन दोनों के बीच संघर्ष के पीछे कुछ विवादित क्षेत्र हैं जो निम्न हैं-

वेस्ट बैंक-

- वेस्ट बैंक का क्षेत्र इजराइल और जोर्डन है बीच स्थित है जो 1967 के अरब-इजरायल युद्ध के दौरान इजरायल के कब्जे में आ गया।
- इजरायल और फिलिस्तीन क्षेत्रों के द्वारा इस क्षेत्र को अपना बताया जाता है।

गाजा पट्टी-

- इजराइल और मिस्र के बीच स्थित गाजापट्टी वर्तमान में हमास नामक इजरायल विरोधी समूह के कब्जे में है।
- वर्ष 2005 में उस क्षेत्र से इजरायली सेना की वापसी के बाद 'हमास' इस क्षेत्र पर अपना कब्जा जमाया हुआ है जिसका इजरायल द्वारा विरोध किया जाता रहा है।

पूर्वी जेरुशलम-

- इस क्षेत्र पर इजरायल और फिलिस्तीन नागरिकों के लिए अपनाई गई दोहरी नागरिकता नीति विवाद का कारण है।

जेरुशलम का विवाद-

- फिलिस्तीनी क्षेत्र में स्थित जेरुशलम ऐसा विवादित धार्मिक स्थान है जहाँ ईसाई, इस्लाम और यहूदियों तीनों की धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है।